इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और पंजाब में चुने हुए लोगों की सरकार कायम करने की अपील करता हूं।

4.13 म०प०

भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष/सभापति महोदय, मैं जाफना प्राय द्वीप में भारतीय शांति सेनाओं के क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि सहित भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में संसद को बताना चाहूंगा।

इस समझौते की विश्व भर में प्रशंसा की गई है। इस बात को सभी मानते हैं कि समझौते को पूरी तरह से क्रियान्वित करना सभी के हित में होगा। तमिल आकांक्षाएं पूरी होंगी, श्रीलंका की एकता और अखण्डता बनाए रखी जाएगी तथा क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को बहाल किया जा सकेगा। अतः भारत सरकार इस समझौते को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। हमारा विश्वास है कि श्रीलंका सरकार का भी यही मत है।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के इन तीन महीनों में हमने कई मोर्चों पर सन्तोषजनक प्रगति की है। श्रीलंका के सुरक्षा कर्मी अपनी बैरकों में ही रहे हैं, पूर्वी प्रान्त में होम गार्डों से शस्त्र ले लिए गए हैं और स्पेशल टास्क फोर्स को अधिकांश रूप से हटा लिया गया है। सर्वक्षमा के अन्तर्गत 3300 से भी अधिक तमिल बन्दियों को रिहा किया गया है तथा यदि सामान्य स्थिति बनाने में लिट्टे ने अड़चन नहीं डाली होती तो बाकी बन्दियों को भी छोड़ दिया जाता।

उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में सिविल प्रशासन की रूपरेखा उसी आधार पर तैयार की जा रही थी जिसका सुझाव लिट्टे से लेकर तुल्फ तक के तमिल प्रतिनिधियों ने दिया था। अन्तरिम प्रशासनिक परिषद घोषित कर दी गई थी जिसमें लिट्टे को सबसे अधिक निर्णायक हिस्सा दिया गया था। भारत से शरणार्थियों की वापसी की योजना श्रीलंका सरकार के परामर्श से बनाई गई थी। हमने भारत द्वारा घोषित 25 करोड़ रुपए के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने वाले पुनर्वास के प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगा लिया था। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में शान्ति स्थापित हो गई थी। सामान्य स्थिति की बहाली नजदीक ही थी।

हमारे लिए यह अत्यन्त खेद की बात है कि लिट्टे ने इस सबको ठुकरा दिया। वे अपने प्रत्येक वचन से मुकर गए जो उन्होंने हमें दिए थे। उन्होंने जानबूझकर समझौते को असफल बनाने के प्रयास किए क्योंकि वे उग्रवाद से लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया में आने में या तो असमर्थ थे या अनिच्छुक। लिट्टे को राजनैतिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए और यहां तक कि इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए भी हर संभव प्रोत्साहन तथा अवसर दिया गया। लिट्टे के नेतृत्व को, जिन्होंने 600 से अधिक विरोधी तमिल उग्रवादियों को मरवा दिया था, अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शस्त्र रखे/रखने की अनुमति दे दी थी। उन्हें अपने हथियार स्वयं उनकी सुविधा के अनुसार समर्पित करने की अनुमति दी थी, हालांकि इससे कुछ प्रेरित पार्टियों ने समझौते को क्रियान्वित करने की हमारी मंशा पर शक किया था। हमारे हाई कमिश्नर इस बात का पता लगाने के लिए कई बार जाफना गए कि लिट्टे के नेता क्या चाहते हैं। 28 सितम्बर को एक

[श्री राजीव गांधी]

समझौता हुआ। कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुए जिसमें अन्तरिम प्रशासनिक परिषद की संरचना तथा कार्यकरण से सम्बन्धित लिट्टे की प्रत्येक मांग को मान लिया गया था। बदले में लिट्टे ने इस समझौते का पुनः समर्थन करते हुए एक बार फिर अपने हथियार डाल देने का वचन दिया। अन्तरिम प्रशासनिक परिषद की स्थापना को समझौते के अनुसार ही अनुमोदित किया गया था। किन्तु कुछ ही घन्टों के बाद लिट्टे अपनी बात से पीछे हट गए।

लिट्टे ने हिंसा का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। एक ओर तो इसने हमें समझौते के प्रति अपना समर्थन देने का वचन दिया लेकिन दूसरी ओर इसने सेमिनारों के माध्यम से तथा अपनी गैर-कानूनी प्रसारण सुविधाओं के माध्यम से भारत और इस समझौते के विरुद्ध एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इसने जाफना में गड़बड़ियां फैलानी शुरू कर दीं, सामान्य जन-जीवन तथा पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई उन्होंने उन सभी तमिल नागरिकों को धमकी दी जो उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने अन्य तमिल उग्रवादी दलों के लगभग 100 सदस्यों का पीछा करके उन्हें मार डाला। इसने जाफना में अपने एक सदस्य द्वारा अनावश्यक तथा दुर्भाग्य-पूर्ण रूप से आमरण अनशन करवा कर तमिल भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। यह अनशन उन रियायतों की मांग के लिए किया गया था जिनके बारे में पहले से ही बातचीत चल रही थी और जिन्हें मान लिया गया था तथा उन्होंने उस पर सन्तोष व्यक्त किया था।

दुर्भाग्यवश इसी समय लिट्टे के 12 सदस्यों ने आत्महत्या की। लिट्टे ने अपनी हिरासत में रखे हुए श्रीलंका के 8 सिपाहियों को मार डाला तथा पूर्वी प्रान्त में 200 से अधिक नागरिकों की हत्या कर डाली। उन्होंने खुलेआम समझौते का विरोध किया तथा भारतीय शान्ति सेनाओं पर सशस्त्र हमले शुरू कर दिए।

लिट्टे द्वारा समझौते के विरोध, पूर्वी प्रान्त में सिंहलियों तथा मुसलमानों पर उनके हमले तथा श्रीलंका के सैनिकों की उनके द्वारा हत्या करने के कारण सिंहलियों द्वारा ऐसी जवाबी कार्रवाई का खतरा बन गया जो समझौते को समाप्त कर देता तथा हिंसा का एक ऐसा चक्र फैला देता जिसे इस द्वीप में पहले कभी नहीं देखा गया था और इसके शिकार प्रमुख रूप से दक्षिण और मध्य पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले तमिल होते।

सदन इस बात को मानेगा कि ऐसा होने नहीं दिया जा सकता था। इन परिस्थितियों में भारतीय शान्ति सेनाओं को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे किसी भी आदमी को पकड़ ले जो हथियार लेकर चल रहा हो अथवा असैनिक लोगों को मारने के काम में लगा हो। इस मौके पर लिट्टे ने भारतीय शान्ति सेनाओं पर हमले आरम्भ कर दिए। तब इस बात के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था कि लिट्टे को निशस्त्र कर दिया जाए।

शान्ति सेना को ऐसे तरीके अपनाने अथवा हथियारों का प्रयोग न करने के कड़े अनुदेश दिए गए थे जिसके कारण जाफना के नागरिक जो लिट्टे के बन्धक बने हुए थे, भारी संख्या में हताहत न हों। भारतीय सेना ने अत्यधिक अनुशासन और साहस के साथ इन अनुदेशों का पालन किया है और तमिल नागरिकों को बचाने की इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं सरकार की ओर से भारतीय सेनाओं की निष्ठा और नैतिकता के ऊंचे मानदण्डों की प्रशंसा करता हूं जिसके साथ उन्होंने ऐसे ग्रुप के विरुद्ध जाफना में अपने आपरेशन चलाए हैं जिसने वृद्धों पर बल प्रयोग करके, महिलाओं और बच्चों को अपना कवच बनाकर, मासूम बच्चों को मानवीय बम बनाकर, बन्दियों

की हत्या कर और जाफना के उन लोगों के, जिनके लिए वह लड़ने का दावा करते हैं, घरों के चारों और बम लगाकर सभ्य बर्ताव के सभी मानदण्डों को ताक पर रख दिया। हमारे जो सिपाही घायल हुए हैं, हम उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की कामना करते हैं। इस आपरेशन में जो सिपाही मारे गए हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह समूचा सदन हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को अपनी श्रद्धांजलि देने और संतप्त परिवारों को अपनी हार्दिक सहानुभूति देने में मेरे साथ शामिल होगा।

भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टरों ने भारी जोखिम होने के बावजूद लड़ाई के दौरान भी शहर में वायु मार्ग से आपातकालीन खाद्य सप्लाई की। शान्ति सेना ने जाफना में शरणार्थियों को अपने हिस्से का राशन दिया। जैसे-जैसे शरणार्थी शिविर शान्ति सेना के नियन्त्रण में आते गए, वहां शरणार्थियों को पका हुआ भोजन भी उपलब्ध कराया गया हमने जाफना में नागरिक आपूर्ति, जन-सुविधाएं और प्रशासन बहाल करने के लिए प्रमुख प्रयास किया। इसके साथ-साथ आवश्यक खाद्य और अन्य सामग्री से लदे जहाज काकेसन्थुराई बन्दरगाह पर भेजे गए। जाफना में राहत सहायता भेजी जा रही है, हालांकि लिट्टे ने इन मानवीय मिशनों पर अपना आक्रमण जारी रखा है। बिजली और टेलीफोन व्यवस्था को जिन्हें लिट्टे ने नष्ट कर दिया था, आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है और उनमें जो उपकरण नष्ट कर दिए गए थे, उन्हें भारत से नए उपकरण भेज कर बदल दिया गया है। नागरिक प्रशासकों का एक छोटा दल शान्ति सेना को राहत और पुनर्वास के कार्य सलाह और सहायता देने के लिए भेजा गया है। भारतीय रेडक्रास ने अपने कार्मिक भेजे हैं और वे स्थानीय रेडक्रास के साथ मिलकर शहर में राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

जाफना में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारी बनाई हुई नहीं हैं। कोई भी विकल्प शेष न रहने पर हमने दुखी मन से कार्रवाई की। लिट्टे जो कुछ भी चाहता था उसे वह प्रदान करने के लिए हमने अन्य समुदायों और अन्य ग्रुपों के साथ अपनी साख को भी दाव पर लगाते हुए हर सम्भव प्रयास किया।

उनके आक्रमणों की शुरूआत से पहले भी हमने न केवल समझौते के विरुद्ध बल्कि भारत और शान्ति सेना के विरुद्ध उनके झूठे प्रचार को भी नजर अन्दाज किया था। अन्तरिम प्रशासन में हमने उन्हें 12 में से 7 में स्पष्ट बहुमत दिया था जिसमें उनकी पसन्द का एक अध्यक्ष पद भी है। उनके आग्रह पर अन्य तमिल उग्रवादी दलों का शामिल नहीं किया गया। यद्यपि भारत सरकार ने लिट्टे की सभी मांगों के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है परन्तु लिट्टे ने अपने किसी भी वचन का पालन नहीं किया है।

यहां तक कि जब उन्होंने शान्ति सेना पर आक्रमण किया और अन्धाधुन्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां की तब भी हमने बार-बार कहा कि यदि लिट्टे अपने हथियार सौंप दे, करार को अपना समर्थन दे और हिंसा का मार्ग छोड़ दे तो वे अभी भी भावी लोकतान्त्रिक स्थापना में महत्व-पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि वे हथियार सौंप दें और करार का समर्थन करें तो उसके लिए राष्ट्रपति जयवर्धने ने पहले ही उन्हें क्षमादान देने का वचन दिया हुआ है। लिट्टे ने इसका जवाब केवल अल्टीमेटमों और नए-नए प्रचारों, गलत सूचनाओं और झूठी बातें फैलाकर दिया है जिसका उद्देश्य भारत और हमारे सशस्त्र बलों की छवि बिगाड़ना है हमें अभी आशा है कि उन्हें ठीक समझ आ जाएगी।

[श्री राजीव गांधी]

इन कार्रवाइयों को करते समय हमने इस तथ्य को नहीं भुलाया है कि हमारा अन्तिम उद्देश्य सत्ता का शीघ्र तथा उपयुक्त रूप से हस्तांतरण सुनिश्चय करना है ताकि तमिलों की न्याय-संगत आंकाक्षाएं पूरी हो सकें और वे सुरक्षापूर्वक श्रीलंका में अन्य नागरिकों के साथ सम्मान से रह सकें। लिट्टे द्वारा की जा रही हिंसा पर नियन्त्रण करने की कोशिश करते हुए भी हमने भारत से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की शीघ्र वापसी का सुनिश्चय करने की जरूरत की; तमिल क्षेत्रों पर नये उपनिवेश न बनने देने का सुनिश्चय करने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा है।

हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पूर्व में सिंहल उपनिवेश की पुनः शुरूआत हो गई। जैसा कि स्वाभाविक है इससे तमिलों को चिन्ता हो गई, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि प्रान्त के काफी संख्या में तमिल अभी भी या तो भारत में अथवा उत्तर में शरणार्थी हैं। हमने इस मामले को श्रीलंका की सरकार के साथ गम्भीरता से उठाया है और कहा कि वह ऐसा न होने दे। श्रीलंका की सरकार नए उपनिवेश की शिकायतों की जांच करने के लिए सभी समुदायों की एक जांच की समिति की स्थापना किए जाने पर भी सहमत हो गई है।

हम इस बात को सुनिश्चित करने के इच्छुक हैं कि भारत में श्रीलंका के शरणार्थी शीघ्र ही अपने घरों को लौट जाएं। श्रीलंका की सरकार भी हमारे साथ ऐसे तमिलों की शीघ्र वापसी पर सहमत हो गई है जो पूर्वी प्रान्त से आन्तरिक रूप से विस्थापित हो गए थे। हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।

श्रीलंका में दीर्घावधिक शांति हस्तान्तरण पैकेज पर निर्भर करेगी। श्रीलंका की सरकार ने प्रान्तीय परिषदें बनाए जाने और उन्हें शक्तियां हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में श्रीलंका के संविधान में संशोधन करने के लिए अपनी संसद में पहले ही विधेयक पारित कर दिया है विधेयक में उत्तर और पूर्व में एकल तमिल प्रान्त बनाए जाने की भी व्यवस्था है। लेकिन श्रीलंका के एकिक संवैधानिक ढांचे में यह विधेयक प्रान्तीय परिषदों को शक्तियों का हस्तांतरण करने के मामले में अद्वितीय है। इस विधेयक में प्रान्तीय परिषदों को दी गई शक्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके कुछ उपबन्ध तमिल मांगों को पूरा नहीं करते हैं।

इस मामले पर राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ क्राठमाण्डू में और दिल्ली में उनकी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान व्यापक रूप से बातचीत की गई। हमें पक्का आश्वासन मिला है कि यदि आगामी महीनों मे कोई भी कठिनाई उठती है तो श्रीलंका की सरकार ऐसे परिवर्तन करेगी जो आवश्यक समझे जायेंगे।

भारत की सरकार का यह विचार है कि कुछ समस्याओं और विलम्बों के बावजूद भी जिसका आभास पहले से ही किया जा सकता था लेकिन जिससे इस मसले के स्वरूप और उलझेपन को देखते हुए बचा नहीं जा सकता था, यह समझौता ही तमिल हितों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने तथा श्रीलंका में स्थाई शान्ति प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। कुछ लोगों ने समझौते की आलोचना की है। लेकिन किसी ने भी श्रीलंका में तमिलों की न्यायसंगत आकांक्षाओं को पूरा करने, उस देश में शान्ति बहाल करने और इस क्षेत्र में हमारे अपने सुरक्षा हितों की देख-भाल करने के बारे में इससे बेहतर कोई समाधान नहीं सुनाया है हमने एक ऐसी भूमिका स्वीकार की है जो कठिन तो है लेकिन जिसे निभाना हमारे राष्ट्रीय हित में है। हमने जो जिम्मेदारी अपने

ऊपर ली है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। यह एक राष्ट्रीय प्रयास है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों को पूरे सदन का समर्थन मिलेगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आप 48 घन्टे अथवा 72 घन्टे के लिए युद्ध विराम की घोषणा क्यों नहीं करते ? मेरे माननीय मुख्य मन्त्री ने इसका अनुरोध किया है।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : आप हत्याएं क्यों नहीं रोकते और लिट्टे को वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाते ?

अध्यक्ष महोदय : कल हम इस पर चर्चा करेंगे। कल हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब श्री मेवा सिंह गिल बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल ही नहीं। कल हम चर्चा की अनुमति देंगे। कृपया बैठ जाईये।

श्री एन० वी० एन० सोमू : रात भर में ही सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बैठ जाइए। कृपया, अब अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी कानून इसकी अनुमति नहीं देता। कोई प्रश्न नहीं। हम कल इस पर चर्चा करेंगे। यही मैंने कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाईए। यह सब ठीक है। इसे अब नहीं किया जा सकता।

4.28 म०प०

पंजाब के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अगले छह मास तक लागू रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प —जारी

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, संसदीय लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों और संस्था के मूल नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले के रूप में, मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लगाने अथवा इसकी अवधि और बढ़ाने का मैं समर्थन नहीं करता परन्तु कुछ ऐसे कारणों की वजह से जो कि मजबूर करने वाले हैं और हालातों की वजह से मेरे पास पंजाब में राष्ट्रपति शासन को और छह महीने तक बढ़ाये जाने का समर्थ करने के सिवाय कोई विकल्प नही है।

4.29 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

जब मई 1987 में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही थी तब मैंने इन्हीं कारणों की वजह से इसका समर्थन किया था और ये कारण अब भी विद्यमान हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मैं इस बारे में कारण बता रहा हूं कृपया आप इन्हें सुनें।